

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—18/2020 (2020/00048) वादपत्र

अनवान

1. कन्हैयालाल पिता श्रवण ब्राह्मण (शर्मा) निवासी पनोतिया, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. राहुल पिता रामप्रसाद ब्राह्मण निवासी पनोतिया, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गुडन पिता रामप्रसाद ब्राह्मण निवासी पनोतिया, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुशीलादेवी पत्नि रामप्रसाद ब्राह्मण निवासी पनोतिया, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लादी पुत्री उदयलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रामुदेवी पत्नि उदयलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारुख मोहम्मद —

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक:—23.11.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 04.01.2022 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के सयुक्त खातेदारी अधिकार कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1474 रकबा 0.22 है 0 भूमि में वादी का 7/22 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 15/22 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 17.10.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 352 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1474/1 रकबा 0.07 है 0 भूमि कन्हैयालाल पुत्र श्रवण हिस्सा पूर्ण ब्राह्मण सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1474/2 रकबा 0.15 है 0 भूमि गुडन पुत्री रामप्रसाद हिस्सा 1/9, रामुदेवी पत्नि उदयलाल हिस्सा 1/3, राहुल पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/9, लादी पुत्री उदयलाल हिस्सा 1/3, सुशीलादेवी पत्नि रामप्रसाद हिस्सा 1/9 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुवालका)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी:—श्री राजेश सुवालका, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बर:—18/2020 (2020/00048) वादपत्र

अनवान

1. कन्हैयालाल पिता श्रवण ब्राह्मण (शर्मा) निवासी पनोतिया, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा  
वादी

**बनाम**

1. राहुल पिता रामप्रसाद ब्राह्मण निवासी पनोतिया, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गुडन पिता रामप्रसाद ब्राह्मण निवासी पनोतिया, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुशीलादेवी पत्नि रामप्रसाद ब्राह्मण निवासी पनोतिया, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लादी पुत्री उदयलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रामुदेवी पत्नि उदयलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 352 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1474/1 रकबा 0.07 है0 भूमि कन्हैयालाल पुत्र श्रवण हिस्सा पूर्ण ब्राह्मण सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1474/2 रकबा 0.15 है0 भूमि गुडन पुत्री रामप्रसाद हिस्सा 1/9, रामुदेवी पत्नि उदयलाल हिस्सा 1/3, राहुल पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/9, लादी पुत्री उदयलाल हिस्सा 1/3, सुशीलादेवी पत्नि रामप्रसाद हिस्सा 1/9 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 23.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।



(राजेश सुवालका)  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा  
रायपुर (भीलवाड़ा)